राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

::स्थाई आदेश::

क्रमांक प. 27(16)न्याय/93

जयपुर, दिनांक 09/01/2019

राजस्थान कार्य विधि नियम के नियम 21 व 22 के अन्तर्गत व अनुसरण में इस विभाग के समस्त पूर्व आदेशों को अतिष्ठित करते हुए एतद्द्वारा निर्देश देता हूं कि विधि एवं विधिक कार्य विभाग व विधायी प्रारूपण तथा विधि परामर्शी कार्यालय में मामलों व कार्य का निपटारा नीचे परिशिष्ठ (क) में अंकितानुसार तत्काल प्रभाव से किया जायेगा।

(शांति धारीवाल)
विधि मंत्री

परिशिष्ठ(क)

क्र. स.	कार्य व मामलों का विवरण	जिसके द्वारा परीक्षण किया जायेगा	किस स्तर पर निपटारा होगा				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सलाह एवं परामर्श	विशिष्ठ शासन सचिवगण एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव	विधि मंत्री			
		टिप्पणी:– **1. सलाह एवं परामर्श संबंधी महत्वपूर्ण मामलें संबंधित विशिष्ठ शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी व विधि परामर्शी के समक्ष पेश करेगें। अंतिम निपटारा मंत्री स्तर से किया जा सकेगा।** **2. विधि परामर्शी एवं प्रमुख शासन सचिव, विधि सलाह व परामर्श संबंधी कार्य का आवंटन, विशिष्ठ शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी में विभागवार कर सकेगें।** **3. विधि परामर्शी कोई विशेष प्रकरण किसी भी विशिष्ठ शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी को परामर्श हेतु सुपुर्द कर सकेंगे।**				
2	राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत न्यायिक जांच कार्यवाही	1. विशिष्ठ शासन सचिव (वि.र.स.) एवं संयुक्त विधि परामर्शी 2. विशिष्ठ शासन सचिव विधि (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी **टिप्पणी:– पुनः जांच विशिष्ठ शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी विधायी प्रारूपण/विशिष्ठ शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी करेंगे। वर्तमान में लम्बित जांच संबंधित विशिष्ठ शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी करेंगे। जांच सौंपने से पूर्व प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, प्रमुख शासन सचिव, विधि का अनुमोदन प्राप्त करेगें।**					
3	विधियों एवं नियमों का संहिताकरण और आधिकारिक रूप से रख–रखाव व प्रशासनिक मामलें।	वरिष्ठ विधि रचनाकार	उप शासन सचिव (संहिताकरण)	विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारुपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि		
4.	विधि रचना संगठन द्वारा विधियों के अधिकृत हिन्दी पाठ तैयार व रख रखाव	विधि रचनाकार/ व.वि.र.अ/ वि.र.अ.	उप शासन सचिव (वि.र.स.)	विशिष्ठ शासन सचिव (वि.र.स.) एंव संयुक्त विधि परामर्शी			
5.	विधि रचना संगठन संबंधी अन्य मामले।	उप शासन सचिव (वि.र.स.)	विशिष्ठ शासन सचिव (वि.र.स.) एंव संयुक्त विधि परामर्शी				
6.	विधिक सहायता एवं लोक अदालत संबंधी कार्यक्रम तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित मामलें।	विशिष्ठ शासन सचिव (वि.र.स.) एंव संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि				
7.	विधि विभाग के पुस्तकालय में पुस्तकें, पत्रिकाओं, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का रख रखाव व अन्य मामलें	पुस्तकालयाध्यक्ष	विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी				
	टिप्पणी:–रूपये 5000/– से ऊपर के क्रय भुगतान की स्वीकृति प्रमुख शासन सचिव, विधि के अनुमोदन से जारी की जायेगी।						

8	विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने कम्प्यूटर प्रणाली लागू करने के संबंधी कार्य।	उप शासन सचिव, विधायी प्रारूपण (प्रथम)	विशिष्ठ शासन सचिव (वि.र.स.) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि			
9.	विधायी प्रारूपण एवं प्राथमिक विधान संबंधी प्रारूपो का परीक्षण एवं विधिक्षा	विधि रचना अधिकारी	उप शासन सचिव विधायी प्रारूपण	संयुक्त शासन सचिव, प्रारूपण	विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारुपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री
	टिप्पणीः– विधायी प्रारूपण एवं प्राथमिक विधान संबंधी प्रारूपों के परीक्षण का कार्य, प्रमुख शासन सचिव, विधि द्वारा उप सचिवगण (विधायी प्रारूपण) के बीच विभागवार आवंटित किया जा सकेगा।						
10	अधीनस्थ विधान संबंधी प्रारूपों की विधिक्षा एवं दस्तावेजों की विधिक्षा एवं परीक्षण	वरिष्ठ विधि अधिकारी / उप विधि परामर्शी / संयुक्त विधि परामर्शी (प्रारुपण)	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (प्रारूपण)	विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि		
11	विधायी कार्य से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलें	विधि रचना अधिकारी	उप शासन सचिव (विधायी) (ग्रुप–2)	विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि		
12	राज्य के अध्यादेशों, विधेयकों अधिनियमों, अधिसूचनाओं आदि का राजपत्र में प्रकाशन व केन्द्र सरकार के अध्यादेशों, अधिनियमों का पुनः प्रकाशन	विधि रचना अधिकारी	उप शासन सचिव, (विधायी) (ग्रुप–2)	विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री (टिप्पणी अनुसार)	
	टिप्पणीः– आवश्यकतानुसार विधि मंत्री महोदय से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।						
13	केन्द्र सरकार, विधि आयोग या अन्य समिति की रिपोर्ट का अध्ययन व उन पर टिप्पणी	विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री			
14	विधि एवं विधिक कार्य विभाग से संबंधित विधानसभा, लोक सभा राज्य सभा के प्रश्न आदि	उप शासन सचिव, (विधि)	विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री		
15	राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान व सेवानिवृत न्यायाधीशों से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलें।	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	प्रमुख शासन सचिव, विधि	मुख्य सचिव	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री	राज्यपाल
16	राजस्थान विधि (राज्य व अधीनस्थ) सेवा, राजस्थान विधि रचना (राज्य व अधीनस्थ) सेवा के पदों का सृजन, उत्सादन, नियुक्ति, स्थाईकरण, सेवानिवृत्ति सेवामुक्ति स्थानान्तरण, वेतन, पेंशन से संबंधित मामलें, वरिष्ठता निर्धारण पदोन्नति व अन्य सेवा संबंधी मामलें	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री (टिप्पणी अनुसार)			

	टिप्पणीः–क्र0 16 में केवल पदों का सृजन, उत्सादन, पदोन्नति, सेवामुक्ति, स्थानान्तरण एवं पद स्थापन के मामलें ही विधि मंत्री के समक्ष प्रस्तुत होंगे।						
17	कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने के मामलें	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री (टिप्पणी अनुसार)			
	टिप्पणीः– आवश्यकतानुसार विधि मंत्री महोदय से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।						
18	माननीय उच्च न्यायालय/विधि विभाग के अधीनस्थ समस्त बजट मदों का कार्य सम्पादन	सहायक लेखाधिकारी	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	प्रमुख शासन सचिव, विधि			
19	विधि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणः–						
	1 मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के मामलें।	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री			
	2 मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रबन्ध व व्यवस्था से संबंधित सभी मामलें, जिनमें लिंक अधिकारी घोषित करने एवं अतिरिक्त चार्ज से संबंधित मामलें तथा कर्मचारीगण के स्थानान्तरण के प्रकरण भी सम्मिलित है।	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री			
	3. शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता/प्रशासक वादकरण/लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण के कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक एवं च.श्रे. कर्मचारीकरण के पदों का सृजन, उत्सादन, नियुक्ति स्थाईकरण, सेवामुक्ति, स्थानान्तरण, वेतन, पेंशन संबंधी मामलें, वरिष्ठता निर्धारण, पदोन्नति सेवा से संबंधी कार्य।	विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (वादकरण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री (टिप्पणी अनुसार)		
	4. प्रशासनिक सुधार विभाग एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रकरण	उप शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव (विधि)	विधि मंत्री			
	टिप्पणीः– क्र.स. 19 (3) में केवल पदों का सृजन, उत्सादन, पदोन्नति, सेवामुक्ति के मामलें ही विधि मंत्री के समक्ष प्रस्तुत होंगे।						

20	नोटेरी पब्लिक की नवीन नियुक्ति संबंधित मामले।	संयुक्त शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री	मुख्य मंत्री		
21	नोटेरी पब्लिक की सेवामुक्ति, नवीनीकरण व अन्य संबंधित मामले।	संयुक्त शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री			
22	न्यायिक अधिकारीगण की विधि एवं विधिक कार्य विभाग या अन्य विभागों में नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, प्रत्यावर्तन व अन्य मामले।	संयुक्त शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	मुख्य सचिव	विधि मंत्री		
	टिप्पणी:– विधि एवं विधिक कार्य विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, प्रत्यावर्तन के मामलें प्रमुख शासन सचिव, विधि द्वारा सीधे ही संबंधित अति. मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव को भेजे जायेंगे।						
23	विधि एवं विधिक विभाग के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय व सभी प्रकार के अन्य न्यायालयों/अधिकरणों के–						
	(क) गठन पुनर्गठन, उत्सादन या अधिकारिता में परिवर्तन के मामले,	संयुक्त शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री		
	(ख) उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था या प्रबन्ध संबंधी अन्य मामलें।	संयुक्त शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री			
24	(क) राजस्थान न्यायिक सेवा के सभी संवर्गों के अधिकारियों की नियुक्ति व सेवा मुक्ति के मामलें।	संयुक्त शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	मुख्य सचिव	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री	राज्यपाल
	(ख) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्तावानुसार राजस्थान न्यायिक सेवा के सभी संवर्गों के अधिकारियों के लिंक न्यायालय घोषित करने एवं अतिरिक्त कार्यभार सौंपने के मामलें।	संयुक्त शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि				
25	न्यायिक अधिकारियों के अन्य प्रशासनिक मामले जो विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा निपटाये जाते है।	संयुक्त शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि				
26	महाधिवक्ता की नियुक्ति	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	मुख्य सचिव	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री	राज्यपाल
27	उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की नियुक्ति व सेवामुक्ति	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	मुख्य सचिव	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री	

28	उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता / पैनल अधिवक्ता तथा उच्च न्यायालय में सहायक, राजकीय अधिवक्ता, स्थाई अधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालयों में पैनल लॉयर, स्थाई अधिवक्ता की नियुक्ति, सेवावृद्धि व सेवामुक्ति के मामलें।	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	मुख्य सचिव	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री	
29	उच्च न्यायालय में राजकीय अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक, गर्वमेन्ट काउन्सिल तथा अपर / उप एवं लोक अभियोजक / गवर्नमेन्ट काउन्सिल की नियुक्ति एवं सेवामुक्ति।	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	मुख्य सचिव	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री	
30	अधीनस्थ न्यायालयों में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक / विशिष्ट लोक अभियोजक एवं पदेन राजकीय अभिभाषक की नियुक्ति सेवावृद्धि व सेवा मुक्ति।	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री	
31	किसी विशेष आपराधिक प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक अथवा अधिवक्ता की नियुक्ति की शर्तो व शुल्क आदि से संबंधित मामलें:- 1. जिन मामलों में अधिवक्ता की फीस राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं की जायेगी अथवा 51,000 रूपये तक की कुल फीस वहन की जायेगी। 2. 51,000 रूपये से अधिक फीस के प्रकरण	वरिष्ठ विधि अधिकारी / सहायक विधि परामर्शी वरिष्ठ विधि अधिकारी / सहायक विधि परामर्शी	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण) विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री विधि मंत्री	- मुख्यमंत्री
32	सिविल प्रकरण, याचिकाओं में विशेष अधिवक्ता की नियुक्ति की शर्तो एवं शुल्क आदि से संबंधित मामलें:- 1) जिन मामलों में अधिवक्ता की कुल फीस 51,000 / - रूपयें तक हो। 2) जिन मामलों में अधिवक्ता की कुल फीस 51,000 / - रूपये से अधिक हो।	कनिष्ठ विधि अधिकारी / वरिष्ठ विधि अधिकारी / सहायक विधि परामर्षी कनिष्ठ विधि अधिकारी / वरिष्ठ विधि अधिकारी / सहायक विधि परामर्षी	विशिष्ट शासन सचिव, एवं अति. निदेशक वादकरण / उपविधि परामर्शी / संयुक्त विधि परामर्शी / वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी विशिष्ट शासन सचिव वादकरण, उप विधि परामर्शी / संयुक्त विधि परामर्शी / वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	शासन सचिव, विधि शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री विधि मंत्री	- मुख्यमंत्री

33	विधि अधिकारियों के प्रत्येक प्रकरण के शुल्क बिलों के परीक्षण व अदायगी के मामलें व महाधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, राजकीय अधिवक्ता व अन्य विधि अधिकारियों तथा उच्च न्यायालयों द्वारा नियुक्त करवाये गये निजी अधिवक्ताओं के प्रारूप, सुनवाई, अवमानना याचिकाओं आदि के शुल्क बिलों से संबंधित मामलें							
	1:– रूपये 5000/– तक के मामलें	कनिठ विधि अधिकारी वरिष्ठ विधि अधिकारी/ सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी					
	2:– रूपये 10000/– तक के मामलें	कनिठ विधि अधिकारी वरिष्ठ विधि अधिकारी/ सहायक विधि परामर्शी	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण) उप निदेशक वादकरण					
	3:–रूपये 10001 से 20000 तक के मामले	कनिठ विधि अधिकारी वरिष्ठ विधि अधिकारी/ सहायक विधि प रामर्शी सहायक विधि प्रारूपकार/	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण) उप निदेशक वादकरण	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)				
	4:–रूपये 20001 से 50000 तक के मामलें	कनिठ विधि अधिकारी वरिष्ठ विधि अधिकारी/ सहायक विधि प रामर्शी सहायक विधि प्रारूपकार/	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण) उप निदेशक वादकरण	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि			
	5:–रूपये 50001 से 1,00,000 तक के मामले	कनिठ विधि अधिकारी वरिष्ठ विधि अधिकारी/ सहायक विधि प रामर्शी सहायक विधि प्रारूपकार/	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	विशिष्ट शासन सचिव, (वादकरण)	शासन सचिव विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि		
	6:–रूपये 1,00,001 से ऊपर के मामलें	कनिठ विधि अधिकारी वरिष्ठ विधि अधिकारी/ सहायक विधि परामर्शी सहायक विधि प्रारूपकार/	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	विशिष्ट शासन सचिव, (वादकरण)	शासन सचिव विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री

नोट:–(1) आपराधिक प्रकरणों के फीस बिल वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी द्वारा सीधे विशिष्ट शासन सचिव वादकरण को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(12) राज./वाद./2006 दिनांक 28.10.2010 (समय – समय पर यथासंशोधित) के अन्तर्गत देय विशेष फीस के प्रकरण माननीय प्रमुख शासन सचिव तक प्रेषित किये जायेगें।

34	सिविल न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायालय एवं अपर जिला न्यायालय/जिला न्यायालय, जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच, राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लेगा।	कनिठ विधि अधिकारी/ वरिष्ठ विधि अधिकारी	संयुक्त विधि परामर्शी (चतुर्थ)	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि (टिप्पणीनुसार)	विधि मंत्री (टिप्पणीनुसार
35	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रथम अपील/द्वितीय अपील, राज्य आयोग व राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित निर्णय का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लेना।	कनिठ विधि अधिकारी/ वरिष्ठ विधि अधिकारी	संयुक्त विधि परामर्शी (चतुर्थ)	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि (टिप्पणीनुसार)	विधि मंत्री (टिप्पणीनुसार)
36	श्रम न्यायालय/आद्यौगिक अधिकरण, राजस्थान कराधान अधिकरण, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अधिकरण, केन्द्रीय सिविल–सेवा अपील अधिकरण, मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण, एवं अन्य अधिकरण द्वारा पारित निर्णय का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लेना।	कनिठ विधि अधिकारी/ वरिष्ठ विधि अधिकारी	संयुक्त विधि परामर्शी (चतुर्थ)	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि (टिप्पणीनुसार)	विधि मंत्री (टिप्पणीनुसार)
37	मध्यस्थ के समक्ष अधिवक्ता की नियुक्ति (1) वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित शुल्क पर (2)अन्यथा प्रकरणों में।	कनिष्ठ विधि अधिकारी कनिष्ठ विधि अधिकारी	संयुक्त विधि परामर्शी (चतुर्थ) संयुक्त विधि परामर्शी (चतुर्थ)	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण) विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि प्रमुख शासन सचिव, विधि	 विधि मंत्री
38	उच्च न्यायालय में विशेष अपील करने या नहीं करने, उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत करने या नहीं करने के संबंध में प्रशासनिक विभाग साथ पत्रावली प्राप्त होने पर टिप्पणी 2 के अनुसार	वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी/सहायक विधि प्रारूपकार	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (प्रथम)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री (टिप्पणी क्रम) के अनुसार।	

टिप्पणी:–

1. **जिन प्रकरणों में प्रशासनिक विभाग व शासन सचिव, विधि में असहमति हो तो वे ही प्रकरण प्रमुख शासन सचिव, विधि को भेजे जायेंगे।**
2. **प्रशासनिक विभाग एवं विधि परामर्शी /प्रमुख शासन सचिव की राय में भिन्नता होने की स्थिति में ही प्रकरण विधि मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया जाएगा।**
3. **एकल पीठ याचिका में पारित निर्णय के विरुद्ध खण्डपीठ में विशेष अपील करने का निर्णय संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा ही लिया जायेगा किन्तु सेवा संबंधी प्रकरण, जिनमें याचिका कर्मचारी/कर्मकार अथवा उनकी विधवाओं द्वारा उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर की गई हो, विधि विभाग को प्रेषित किये जायेगें। सर्वोच्च न्यायालय में किसी आदेश/अंतरिम आदेशों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं करने से संबंधित सभी प्रकरण विधि विभाग को प्रेषित किये जावेगें।**
4. **माननीय उच्चतम् न्यायालय कें निर्णयों के विरूद्ध रिव्यू पिटिशन दायर करने की पत्रावलियां विधि विभाग को सीधे नहीं भेजी जायेगी। स्थाई समिति के सदस्यों के मध्य मतभिन्नता होने की स्थिति में ही पत्रावली विधि विभाग को अंतिम निर्णय के लिए भेजी जायेगी।**

39	(1) न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जमानतीय व असंज्ञेय अपराध में पारित दोषमुक्ति के निर्णय के मामलें का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लेना।	वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि (टिप्पणीनुसार)	विधि मंत्री (टिप्पणीनुसार)

टिप्पणी:–

1 ऐसे मामलें जिनमें अपील का विनिश्चय किया गया है वे शासन सचिव , विधि के स्तर पर ही निपटा दिये जायेगें और केवल वे प्रकरण जिनमें नो अपील का विनिश्चय किया जाता है प्रमुख शासन सचिव विधि के स्तर पर निपटाए जायेगें।

2 ऐसे मामले जिनमें परिवादी/आहत/पीडिता के पक्षद्रोही होने के आधार पर दोषमुक्ति के कारण नो अपील का निर्णय लिया गया है, वे प्रकरण भी प्रमुख शासन सचिव विधि के स्तर पर ही निपटा दिये जायेगे। यदि शासन सचिव, विधि तथा प्रमुख शासन सचिव, विधि में मत भिन्नता है तो वे प्रकरण अंतिम निर्णय के लिए विधि मंत्री को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश विशिष्ट एवं अन्य समकक्ष फौजदारी न्यायालयों के आदेशों व निर्णयों के मामलें का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लेना। (क) हत्या (आपराधिक मानव वध को छोडकर) एवं बलात्कार के मामलें जिनमें POCSO व धारा 304(बी) भा.द.स.एवं एन.डी.पी.एस. के मामलें भी सम्मिलित होंगे।	वरिष्ठ विधि अधिकारी/ सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी –	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि (टिप्पणीनुसार)	विधि मंत्री (टिप्पणीनुसार) –

टिप्पणी:–

1 ऐसे मामलें जिनमें अपील किए जाने का विनिश्चय किया गया है, वे प्रकरण प्रमुख शासन सचिव विधि के स्तर पर ही निपटा दिये जायेगे।

2 ऐसे मामले जिनमें परिवादी/आहत/पीडिता के पक्षद्रोही होने के आधार पर दोषमुक्ति के कारण नो अपील का निर्णय लिया गया है, वे प्रकरण भी प्रमुख शासन सचिव विधि के स्तर पर ही निपटा दिये जायेगे। यदि शासन सचिव, विधि तथा प्रमुख शासन सचिव, विधि में मत भिन्नता है तो वे प्रकरण अंतिम निर्णय के लिए विधि मंत्री को प्रस्तुत किये जायेंगे।

3 टिप्पणी 2 में वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त ऐसे अन्य सभी प्रकरण जिनमें नो अपील का विनिश्चय किया जाना है, विधि मंत्री को प्रेषित किये जायेगें।

(ख) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से संबंधित मामलें	सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री (टिप्पणीनुसार)

	टिप्पणी:– भ्रष्टाचार संबंधी सभी प्रकरण अन्तिम निर्णय हेतु माननीय विधि मंत्री जी को प्रस्तुत होंगे। वे मामलें जिनमें प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं माननीय विधि मंत्री महोदय के विचारों ने भिन्नता होगी, उनमें अन्तिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर होगा।						
	(ग) ऐसे अन्य सैशन मामलें जिनमें 10 वर्ष तक या उससे अधिक सजा का प्रावधान है। **(घ) ऐसे सैशन मामले जिसमें 10 वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान है तथा जिनमें परिवादी/आहत/पीडिता के पक्षद्रोही होने के आधार पर दोषमुक्ति की गई है।**	वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी उप विधि परामर्शी	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण) विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि (टिप्पणीनुसार)	विधि मंत्री (टिप्पणीनुसार)
	टिप्पणी:– **1. वे मामलें जिनमें शासन सचिव, विधि व प्रमुख शासन सचिव, विधि की राय में भिन्नता है, विधि मंत्री महोदय को प्रेषित किये जायेंगे।** **2. वे मामलें जिनमें शासन सचिव विधि तक अपील करने अथवा नहीं करने की राय एक समान रहती है, वे मामलें शासन सचिव विधि के स्तर पर ही निपटा दिये जायेगें तथा आगे के स्तर पर पत्रावलियां अग्रेषित नहीं की जायेगी। परन्तु विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण व शासन सचिव विधि की राय में भिन्नता होने की स्थिति में पत्रावली प्रमुख शासन सचिव, विधि के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।** **3. समस्त प्रकृति के ऐसे फौजदारी प्रकरण जिनमें दोषसिद्धि व दण्डादेश बाबत समुचित आदेश पारित हुआ है, वे विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण के स्तर पर ही निस्तारित कर दिये जायेंगे।**						
	(3) उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित फौजदारी मामलों में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने या नहीं करने के मामलें						
	(क) हत्या (आपराधिक मानव वध को छोडकर) एवं बलात्कार के मामलें जिनमें POCSO व धारा 304 (बी) भा.द.स. एवं एन.डी.पी.एस. के मामलें सम्मिलित है।	वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव विधि (टिप्पणीनुसार)	विधि मंत्री (टिप्पणीनुसार)	
	टिप्पणी:– 1. ऐसे मामलें जिनमें अपील का विनिश्चय किया गया है वे प्रमुख शासन सचिव विधि के स्तर पर ही निपटा दिये जायेगें । **2. ऐसे मामले जिनमें परिवादी/ आहत/पीड़ित के पक्षद्रोही होने के आधार पर दोषमुक्ति के कारण नो अपील का निर्णय किया गया है वे सभी प्रकरण भी प्रमुख शासन सचिव, विधि के स्तर पर ही निपटा दिये जायेंगे। यदि शासन सचिव, विधि तथा प्रमुख शासन सचिव, विधि में मत भिन्नता है तो वे प्रकरण अंतिम निर्णय के लिए विधि मंत्री को प्रस्तुत किये जायेंगे।** **3. टिप्पणी क्रम (2) के अलावा शेष सभी प्रकरण जिनमें नो अपील का विनिश्चय किया जाना है, विधि मंत्री को प्रस्तुत किये जायेंगे।**						
	(ख) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से संबंधित मामलें	वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री (टिप्पणीनुसार)
	टिप्पणी:– भ्रष्टाचार संबंधी सभी प्रकरण अन्तिम निर्णय हेतु माननीय विधि मंत्री जी को प्रस्तुत होंगे किन्तु वे मामलें जिनमें प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं माननीय विधि मंत्री महोदय के विचारों में भिन्नता होगी, उनमें अन्तिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर होगा।						
	(ग) अन्य मामलें।	वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि (टिप्पणीनुसार)	प्रमुख शासन सचिव, विधि (टिप्पणीनुसार)	विधि मंत्री (टिप्पणीनुसार)	

	टिप्पणी:– **(1) वे मामलें जिनमें शासन सचिव, विधि व प्रमुख शासन सचिव, विधि की राय में भिन्नता है, विधि मंत्री महोदय को प्रेषित किये जायेंगे।** **(2) वे मामलें जिनमें शासन सचिव, विधि तक अपील करने की राय एक समान रहती है, ऐसे मामलें शासन सचिव विधि के स्तर पर ही निपटा दिये जायेंगे तथा आगे के स्तर पर पत्रावलियां अग्रेषित नहीं की जायेगीं। परन्तु विशिष्ट शासन सचिव वादकरण व शासन सचिव विधि की राय में भिन्नता होने की स्थिति में पत्रावली प्रमुख शासन सचिव, विधि के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।** **(3)समस्त प्रकृति के ऐसे फौजदारी प्रकरण जिनमें दोषसिद्धि व दण्डादेश बाबत समुचित आदेश पारित हुआ है, वे विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण के स्तर पर ही निस्तारित कर दिये जायेंगे।**						
40	(1)राजस्थान विधि (राज्य व अधीनस्थ) सेवा एवं राजस्थान विधि रचना (राज्य व अधीनस्थ) सेवा के अन्तर्गत नियुक्त अराजपत्रित कर्मचारी के धारा 19 के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 व धारा 196, 197 एवं 199 दण्ड प्रक्रिया संहिता आदि के अभियोजन स्वीकृति से संबंधित मामलें।	सहायक शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग	संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री		मुख्यमंत्री
	(2)निदेशक, वादकरण कार्यालय के अधीन कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी व लोक सेवक की परिभाषा में आने वाले राजकीय कर्मचारी से भिन्न अन्य व्यक्तियों के धारा 19 के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 व धारा 196, 197 एवं 199 दण्ड प्रक्रिया संहिता-आदि के अभियोजन स्वीकृति से संबंधित मामले।	कार्यालय अधीक्षक, निदेशक (वादकरण)	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री
	(3) शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अन्तर्गत गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित अभियोजन स्वीकृति के प्रारूप की विधिक्षा से संबंधित मामलें।	वरिष्ठ विधि अधिकारी (प्र–4)	सहायक विधि परामर्शी (प्र–4)	विशिष्ट शासन (वादकरण)	शासन सचिव, विधि		
41	राजकीय अधिकारियों के विरुद्ध अदालतों की अवमानना के मामलों में राजकीय अधिवक्ता/स्टेंडिग काउंसिल/गवर्नमेण्ट काउंसिल/पैनल लॉयर की नियुक्ति।	कनिष्ठ विधि अधिकारी/वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप निदेशक वादकरण	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि		

टिप्पणीः–

1. किसी भी मामलें, जिनमें निर्णय का स्तर भले ही विधि मंत्री स्तर का निर्धारित किया हुआ नहीं है, में पत्रावली विधि मंत्री द्वारा अवलोकन के लिए मंगवायी जा सकेगी और उस पर यथोचित आदेश पारित किये जा सकेंगे।
2. याचिकाओं से संबंधित मामलें जिनमें मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है एवं उनके पद नाम से उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये है वे सभी वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (एल) द्वारा प्राप्त किये जायेंगे एवं याचिका शाखा के सभी बिल वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (एल) के मार्फत प्रस्तुत किये जावेंगे।
3. याचिका/विशेष अनुमति याचिका/याचिका जवाब/दावा/जवाब दावा/काउन्टर एफिडेविट का प्रारूप की विधिक्षा संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा ही की जायेगी।
4. उप शासन सचिव विधि द्वितीय को प्रमुख शासन सचिव अपनी सुविधानुसार कार्य आवंटित कर सकेंगे।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
8. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/ उप मंत्रीगण।
9. समस्त अधिकारी, विधि एवं विधिक कार्य एवं विधायी प्रारूपण विभाग एवं विधि परामर्शी कार्यालय।
10. समस्त अनुभागाधिकारी, विधि एवं विधिक कार्य एवं विधायी प्रारूपण विभाग एवं विधि परामर्शी कार्यालय।
11. राजकीय अधिवक्ता कार्यालय, जयपुर एवं जोधपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

9/3/19

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव, विधि